संख्या:1794/XXIV-3/09/02(68)2009

प्रेषक,

डा0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनाँक 15 फरवरी,2010

विषयः 12 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत विद्यालय भवनों के विशेष मरम्मत हेतु आंगणन का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग उत्तराखण्ड के पत्रांक 1055/ग्रा0अ0से0/शिक्षा/2009–10 दिनॉक 11.11.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय 12 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज गुनियालेख में प्रयोगशाला भवन की विशेष मरम्मत कार्य हेतु अनुमोदित लागत रू0 1.48 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में कुल रू0 1.48 लाख (रूपये एक लाख अड़तालीस हजार मात्र) की धनराशि को नियमानुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(1) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मद्दे नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(7) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

(8) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219(2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(9) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) अनुरक्षण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण–पत्र 15 फरवरी 2010 तक उपलब्ध करा दिये जाये ताकि भारत सरकार से धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु अनुरोध किया जा सके।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में अुनदान संख्या–07 के अधीन लेखाशीर्षक – 2059– लोक निर्माण कार्य – 80– सामान्य – 053– रख रखाव तथा मरम्मत –आयोजनेत्तर –01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनानाएं – 0101– 12 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भवनों का अनुरक्षण– 29– अनुरक्षण के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 436 (NP)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/2009, दिनांकः 09.02.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव।

संख्याः 1794(1)/XXIV-3/09/02(68)2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेश्चितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री,जी उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री,जी उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
6– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7– अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
8– जिलाधिकारी, नैनीताल।

क्रमशः.....3

9– कोषाधिकारी, नैनीताल।
10– जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
11–. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय।
12– वित्त विभाग(अनुभाग–3) उत्तराखण्ड शासन।
13– कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग।
14– एन0आई0सी0सचिवालय परिसर, देहरादून।
15– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)
अनु सचिव।